वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या 1059/XVII–02/09–10(38) 2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 09 फरवरी, 2010

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2685/स0क0/लेखा–प्रा0वि0क0/2009–10, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0. 20.00लाख की अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः515/XXVII/(1)/2009, दिनांक 28 जुलाई, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित रू0 20,00,000.00 (रूपया बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निवर्तन पर जो धनराशि रखी गयी है वह उनके द्वारा जनपद के अहरण–वितरण अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेगें।
2. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 था आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. उक्त धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथाआवश्यकता योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अग्रेत्तर स्वीकृति हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित लाभार्थियों की संख्या भी सूचित की जायेगी।

9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

11. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सनिश्चित किया जाय।

13. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–800–अन्य व्यय–01 –निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना के **मानक** मद–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जाएगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 423/(NP)/XXVII-3/2009, दिनांक 27 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय

(मनीषा पवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1059/XVII-02/09–10(38)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

5/02/2010